Previous Year Paper

RAJASTHAN JUDICIAL MAINS 2015

PAPER I

NOTE: Attempt all the questions. Questions no.1 to 8 each carries 3 marks, question no. 9 to 12 each carries 5 marks, question no.13 to 15 each carries 6 marks, question no. 16 to 18 each carries 8 marks and question no. 19 carries 14 marks.

नोट :- समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये । प्रश्न संख्या 1 से 8 तक प्रत्येक हेतु 3 अंक, प्रश्न संख्या 9 से 12 तक प्रत्येक हेतु 5 अंक. प्रश्न संख्या 13 से 15 तक प्रत्येक हेतु 6 अंक, प्रश्न संख्या 16 से 18 तक प्रत्येक हेतु 8 अंक एवं प्रश्न संख्या 19 हेतु 14 अंक निर्धारित हैं।

PART-A/ भाग - अ

Marks/ अंक-24

Attempt all the 8 questions. Each question carries 03 marks.

समस्त 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 03 अंक निर्धारित है।

Question No. 1 **(3 Marks)**

Briefly discuss the applicability of doctrine of severability under Article 13(1) of the Constitution of India.

संविधान के अनुच्छेद 13(1) के अन्तर्गत पृथक्करणीयता के सिद्धान्त की प्रयोज्यता की संक्षेप में विवेचना करें।

Question No. 2 **(3 Marks)**

Briefly discuss the provisions of Civil Procedure Code, 1908 regarding examination of parties by the court at the first hearing of the suit.

वाद की प्रथम सुनवाई में न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा के सम्बन्ध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों की संक्षेप में विवेचना करें।

Question No. 3 **(3 Marks)**

Dilate on admissibility of unregistered and insufficiently stamped document affecting immovable property in evidence for collateral transaction, in context of provisions of Section 49 of the Registration Act, 1908 and Section 39 of Rajasthan Stamp Act, 1998.

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 49 एवं राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 39 के संदर्भ में अचल सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले अपंजीकृत एवं अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेज की सांपार्श्विक संव्यवहार हेतु साक्ष्य में ग्राह्यता की विवेचना करें।

Question No. 4 **(3 Marks)**

"Where once time has begun to run, no subsequent disability or inability stops it". Explain in brief.

"जहाँ एक बार समय का चलना प्रारम्भ हो जाये किसी भी पाश्चिक निर्योग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रूकता। संक्षेप में व्याख्या करें।

Question No. 5 **(3 Marks)**

Deliberate on "Rule against the perpetuity" provided under the provisions of Transfer of Property Act, 1882.

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के प्रावधानो के अन्तर्गत उपबन्धित "शाश्वतता के विरूद्ध नियम" की विवेचना करें।

Question No.6 **(3 Marks)**

Briefly explain the different modes of dissolution of a firm under the Indian Partnership Act, 1932.

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत फर्म के विघटन की विभिन्न रीतियों का संक्षेप में विवेचन करें।

linkinglaws.com

Question No. 7 **(3 Marks)**

Whether the witness is entitled for permission to be seated while giving evidence in the Court? If so, under what circumstances? How the witnesses produced by the plaintiff and defendant and the witnesses called and examined by the court are required to be numbered? Indicate with reference to the relevant provisions of General Rules (Civil), 1986.

क्या कोई साक्षी साक्ष्य देते समय न्यायालय में बैठने की अनुमति का अधिकारी है ? यदि ऐसा है तो किन परिस्थितियों में ? चादी, प्रतिवादी या न्यायालय द्वारा परीक्षण हेतु बुलाये गये साक्षियो के संख्यांक किस प्रकार अंकित किये जाने चाहिए ? साधारण नियम (सिविल), 1986 के प्रावधानों के संदर्भ में उपदर्शित करें।

Question No. 8 **(3 Marks)**

Briefly discuss the power of the court under Section 89 of Civil Procedure Code, 1908 and Section 8 of Arbitration and Conciliation Act, 1996 to refer parties to arbitration for settlement of the dispute.

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 एवं माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 के अन्तर्गत पक्षकारों को माध्यस्थम् समझौते हेतु निर्देशित करने की न्यायालय की शक्ति की संक्षेप में विवेचना करें।

PART-B/ भाग - ब

Marks/अंक-20

Attempt all the 4 questions. Each question carries 05 marks.

समस्त 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 05 अंक निर्धारित है।

Question No. 9 **(5 Marks)**

Elaborate the provisions under the Civil Procedure Code, 1908, regarding non appearance of the parties and consequence of non-appearance.

पक्षकारों की अनुपसंजाति और उसके परिणाम के सम्बन्ध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानो की विवेचना करें।

linkinglaws.com

Question No. 10 **(5 Marks)**

Discuss the entitlement of a divorced Muslim woman for mahr, maintenance and other properties under the provisions of Section 3 of Muslim Women (Protection of Right on Divorce) Act, 1986.

मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा के अन्तर्गत तलाकशुदा मुस्लिम महिला के मेहर, निर्वाह भत्ता एवं अन्य सम्पत्तियों प्राप्त करने के अधिकार की विवेचना करें।

Question No. 11 **(5 Marks)**

Dilate on unpaid seller's lien as contemplated under Section 47 of the Sale of Goods Act, 1930. What are the circumstances whereunder unpaid seller's lien shall stand terminated?

माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 47 के अन्तर्गत अनुध्यात असंदत विक्रेता के धारणाधिकार की विवेचना करें। वह कौनसी परिस्थितियों है जिनमें असंदत विक्रेता के धारणाधिकार का पर्यवसान हो जावेगा?

Question No. 12 **(5 Marks)**

Write short notes:

(each carries 2.5 marks)

संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए:

(प्रत्येक हेतु 2.5 अंक निर्धारित है)

(i) Doctrine of Lis pendens

वाद लम्बन का सिद्धान्त

(ii) Easement of necessity.

आवश्यकता के सुखाचार

Link the Life with Law
linkinglaws.com

PART-C/भाग -स

Marks/ अंक-42

Attempt all the 6 questions. Question no. 13 to 15 each carries 06 marks and question no. 16 to 18 each carries 8 marks.

समस्त 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 13 से 15 प्रत्येक हेतु 6 अंक एवं प्रश्न संख्या 16 से 18 प्रत्येक हेतु 8 अंक निर्धारित हैं।

Question No. 13 **(6 Marks)**

Explain the difference between following:

(each carries 03 marks)

निम्नलिखित में विभेद स्पष्ट करें:

(प्रत्येक हेतु 03 अंक निर्धारित है)

(i) Return of plaint and Rejection of plaint

वाद पत्र का लौटाया जाना एवं वाद पत्र का नामंजूर किया जाना

(ii) Malice in law and Malice in fact

विधि की दृष्टि में विद्वेष एवं तथ्य की दृष्टि में विद्वेष

Question No. 14 **(6 Marks)**

"Arbitrariness is antithesis to Article 14 of the Constitution of India", Elaborate.

"स्वेच्छाचारिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के स्पष्टतः विपरीत है. विवेचना करें।

linkinglaws.com

Question No. 15 **(6 Marks)**

Elaborately discuss the remedies falling in the realm of civil law, provided under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, to those women who have been in domestic relationship with the respondent as defined under provisions of Section 2(q) of the said Act.

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उन महिलाओं को जो कि धारा 2 (थ) के अन्तर्गत परिभाषित प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रही हैं, को दीवानी विधि के क्षेत्र में उपलब्ध उपचारों की विस्तृत विवेचना करें।

Question No. 16 **(8 Marks)**

Elaborately discuss the principles guiding the discretion of the court in granting decree for specific performance of the contract.

संविदा के विनिर्दिष्ट पालना की आज्ञप्ति प्रदान करने में न्यायालय के विवेकाधिकार के प्रयोग को मार्गदर्शित करने वाले सिद्धान्तों की विस्तृत विवेचना करें।

Question No. 17 **(8 Marks)**

Discuss the rules governing the devolution of property of Hindu male dying intestate among heirs in class I and II of the Schedule appended to the Hindu Succession Act, 1956.

निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरूष की सम्पत्ति का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की संलग्नक अनुसूची में वर्णित वर्ग 1 व 2 के वारिसों में न्यागमन को शासित करने वाले नियमो की विवेचना करें।

Question No. 18 **(8 Marks)**

"Consent is said to be free when it is not caused by coercion or undue influence or fraud or misrepresentation or mistake". Discuss with reference to provisions of Section 14 to 22 of the Indian Contract Act, 1872.

'स्वतंत्र सम्मति तब कही जाती है जब कि वह प्रपीड़न या असम्यक् असर या कपट या galuca GT GRI E TI HRdig fast 4. 1872 ERI 1422 के परिपेक्ष्य में विवेचना करें।

linkinglaws.com

PART-D/ भाग -द

Marks/ अंक - 14

Question No. 19 **(14 Marks)**

Frame the issues on the basis of the pleadings of the parties noticed below and write the judgment.

M/S. B.G. & Company, Nokha, a partnership firm, entered into an agreement with M/S. P. Patel & Company, Unjha, to purchase 200 bags of Cumin for consideration of Rs.3,20,000/-. However, before the actual trans shipment of the goods, M/s. S.Sethia & Company, Bikaner, purchased the said goods from M/s. B.G. & Company after full payment of the value of the goods. Accordingly, the original vendor M/s. P.Patel & Company at Unjha was instructed to direct the goods for delivery to M/s. S.Sethia & Company. The goods were dispatched from Unjha to Bikaner through North Western Railways. The goods were not delivered by the Railways to M/s. S.Sethia & Company within reasonable time and therefore, its representative contacted concerned authority of Railways at Bikaner time and again, however, the concerned authority informed that the goods had not reached to its destination so far. Later, after a lapse of about one month, the vendee M/s. S.Sethia & Company was informed about the arrival of the goods at the Railway Station, Bikaner. The goods were brought in a wagon different than a wagon wherein the same were initially trans-shipped. The vendee M/s. S. Sethia & Company found that the goods were in the highly damaged condition and therefore, it claimed for open delivery. The Railways claimed demurrage, which was duly paid by the said firm. During the course of open delivery, it was found that the goods were damaged to such an extent that the same were not fit for human consumption. The assessment of the damage was made by the Railway authorities and the loss suffered was quantified at Rs.1,60,000/-. The vendee M/s. S.Sethia & Company after serving a notice upon the Railway authorities under Section 80 CPC read with Section 106 of the Railways Act, 1989, filed a suit before the District Judge, Bikaner claiming compensation for the damage caused to the goods and interest thereon, a sum of Rs.1,60,000/- and Rs.8,000/ respectively.

The suit was contested by the Railways by filing a written statement thereto wherein, while trans-shipment of the goods from Unjha to Bikaner was accepted, however, the ownership of the goods of the plaintiff M/s. S.Sethia & Company was denied. It was averred that the train wherein the goods were Initially loaded met with an accident between the station Unjha to Abu Road and consequently, the wagon wherein the goods were loaded was badly damaged and therefore, later same were re-loaded in another wagon, which reached the destination after a lapse of about one month. It was also averred that the accident did not occur on account of negligence on the part of the Railway employees and it being an act of god, the Railways cannot be held liable for damages. Regarding the damage assessment report, the stand of the Railways was that the same having been prepared without prejudice to the interest of Railways, is not admissible in evidence. The Railways raised an objection that since the plaintiff has no right, title or interest in the disputed goods and therefore, it has no locus standi to

maintain the suit. Though, the receipt of the notice alleged to have been sent by the plaintiff was not denied, it was averred on behalf of the Railways that the notice was not served in conformity with the provisions of Section 106 of the Railways Act, 1989 and therefore, the suit is liable to be dismissed on this count alone. The Railways also questioned the maintainability of the suit on the ground that by virtue of Section 15 of Railway Claims Tribunal Act, 1987, no court or other authority have or is entitled to exercise any jurisdiction, powers or authority in respect of claim for compensation for damages and therefore, the sult being barred by law, deserves to be dismissed.

पक्षकारों के अधोवर्णित अभिवचनो के आधार पर विवाद्यकों की रचना करें एवं निर्णय लिखें।

मैसर्स बी.जी. एण्ड कम्पनी, नोखा, एक भागीदारी फर्म, ने मैसर्स पी.पटेल एण्ड कम्पनी, उन्झा से 200 बोरी जीरा 3,20,000 रूपये के प्रतिफल में खरीदने का इकरार किया लेकिन माल के वास्तविक परिवहन से पूर्व मैसर्स एस. सेठिया एण्ड कम्पनी बीकानेर ने मैसर्स बी.जी. एण्ड कम्पनी से उक्त माल, सम्पूर्ण कीमत अदा कर खरीद लिया। तदनुसार मूल विक्रेता मैसर्स पी. पटेल कम्पनी को माल की सुपुर्दगी मैसर्स एस. सेठिया एण्ड कम्पनी, बीकानेर को देने हेत, निर्देशित किया गया। माल उन्झा से बीकानेर के लिए उत्तर-पश्चिम रेलवे के जरिये भेजा गया। माल युक्तियुक्त समय में मैसर्स एस. सेठिया एण्ड कम्पनी, बीकानेर को रेलवे ने सुपुर्द नहीं किया अतः उक्त फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बार-बार बीकानेर में रेलवे के सम्बन्धित प्राधिकारी से सम्पर्क किया गया लेकिन सम्बन्धित प्राधिकारी ने माल गन्तव्य स्थान पर तब तक पहुँचना नहीं बताया। बाद में करीब एक माह पश्चात् क्रेता मैसर्स एस. सेठिया एण्ड कम्पनी को माल रेलवे स्टेशन बीकानेर पर पहुँचने की सूचना दी गयी। माल प्रारम्भ में जिस वैगन से भेजा गया था उससे भिन्न वैगन में लाया गया था। क्रेता मैसर्स एस. सेठिया एण्ड कम्पनी ने यह पाया कि माल काफी क्षतिग्रस्त अवस्था में था और इसलिए उसने माल की खुली सुपुर्दगी देने की मांग की। रेलवे द्वारा विलम्व शुल्क की मांग कि गयी जो उक्त फर्म द्वारा संदाय कर दिया गया। खुली सुपुर्दगी के दौरान यह पाया गया कि माल इस हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था कि वह मानव उपभोग योग्य नहीं रहा। रेलवे के प्राधिकारियो द्वारा क्षति का निर्धारण किया गया एवं क्षति की राशि रूपये 1,60,000 निर्धारित की गई। क्रेता मैसर्स एस, सेठिया एण्ड कम्पनी द्वारा रेलवे के प्राधिकारियों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 सपठित धारा 106, रेलवे अधिनियम 1989. के अन्तर्गत नोटिस देने के पश्चात् माल में हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति एवं उस पर ब्याज क्रमशः रूपये 1,60,000 एवं रूपये 8,000 की मांग करते हुए न्यायालय जिला न्यायाधीश, बीकानेर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया।

रेलवे द्वारा दावे का प्रतिवाद करते हुए जबाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्झा से बीकानेर माल की रवानगी को स्वीकार करते हुए वादी मैसर्स एस. सेठिया एण्ड कम्पनी के माल का मालिक होने के तथ्य को अस्वीकार किया गया। यह अभिकथन किया गया कि जिस ट्रेन में माल को प्रारम्भ में लदान किया गया था, वह उन्झा एवं आबूरोड़ के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी और परिणाम स्वरूप वैगन जिसमें माल लदान किया गया था. बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और इस कारण से बाद में उसका पुनः लदान अन्य वैगन में किया गया जो कि एक माह पश्चात् गन्तव्य स्थान पर पहुंचा। यह भी अभिकथन किया गया कि दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही से नहीं हुई है एवं यह एक ईश्वरीय कृत्य होने के कारण रेलवे को क्षतिपूर्ति हेतु दायी नहीं ठहराया जा सकता। क्षति निर्धारण प्रतिवेदन के सम्बन्ध में यह कथन किया गया कि वह रेलवे के हित को प्रभावित किये बिना तैयार किया गया था, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। रेलवे द्वारा यह भी आपत्ति उठायी गयी कि चूंकि विवादग्रस्त माल में वादी का कोई अधिकार, स्वत्व या हित नहीं है, अतः उसे दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि वादी द्वारा भेजे गये नोटिस की प्राप्ति को अस्वीकार नहीं किया गया लेकिन यह कथन किया गया कि नोटिस रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 106 के अनुकूल प्रेषित नहीं किया गया है इसलिए वाद

मात्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। रेलवे द्वारा वाद की पोषणीयता पर इस आधार पर भी प्रश्न उठाया गया कि रेलवे दावा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 15 के प्रभाव से, नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु दावे के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ या प्राधिकार प्राप्त नहीं है एवं इसलिए दावा विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

PAPER II

NOTE: Attempt all the questions. Question no.1 to 10 each carries 3 marks, question no.11 to 13 each carries 6 marks, question no.14 carries 10 marks, question no.15 carries 12 marks and question no. 16 to 21 each carries 5 marks.

नोट:- समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये । प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक हेतु 3 अंक, प्रश्न संख्या 11 से 13 तक प्रत्येक हेतु 6 अंक. प्रश्न संख्या 14 हेतु 10 अंक,प्रश्न संख्या 15 हेतु 12 अंक एवं प्रश्न संख्या 16 से 21 तक प्रत्येक हेतु 5 अंक निर्धारित हैं।

PART-A/ भाग-अ

Marks/अंक-70

Attempt all the 15 questions. Question no.1 to 10 each carries 3 marks, question no.11 to 13 each carries 6 marks, question no.14 carries 10 marks and question no.15 carries 12 marks.

समस्त 15 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक हेतु 3 अंक, प्रश्न संख्या 11 से 13 तक प्रत्येक हेतु 6 अंक प्रश्न संख्या 14 हेतु 10 अंक एवं प्रश्न संख्या 15 हेतु 12 अंक निर्धारित है।

Question No. 1 **(3 Marks)**

When an accused can be discharged by a Magistrate?

एक अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा कब उन्मोचित किया जा सकता है?

linkinglaws.com

Question No.2 **(3 Marks)**

When and how an accused who is not present before the Magistrate can be convicted in petty cases on plea of guilty?

एक अभियुक्त जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं है, कब और कैसे लघु मामलो में अभिवाक पर दोष सिद्ध किया जा सकता है?

Question No. 3 **(3 Marks)**

What do you understand by "Local Jurisdiction"?

"स्थानीय अधिकारिता से आप क्या समझते हैं?

Question No. 4 **(3 Marks)**

Whether the State Government can file appeal against the order of acquittal?

क्या राज्य सरकार दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकती है?

Question No. 5 **(3 Marks)**

"X" holds "Y" down, and fraudulently without the consent of "Y" takes away his precious wrist watch and in order to commit this theft, "X" also voluntarily causes wrongful restraint to "Y". What offence "X" has committed?

"एक्स', "वाई को दबोच कर बगैर 'वाई' की सम्मति के कपटपूर्वक उसकी कीमती कलाई घड़ी उतार लेता है और इस चोरी को करने के क्रम में एक्स" स्वेच्छा से "वाई का सदोष अवरोध करता है। "एक्स द्वारा क्या अपराध कारित किया गया है?

Question No. 6 **(3 Marks)**

To support a suit under Order 37 of the Code of Civil Procedure, "B" makes a false entry in his books of account. What offence under Indian Penal Code, 1860 he has committed?

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अधीन एक दावे के समर्थन हेतु, "ब" अपनी बही में एक मिथ्या प्रविष्टि करता है। उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत क्या अपराध किया है?

linkinglaws.com

Question No. 7 **(3 Marks)**

What do you understand by "Counterfeit"?

"कूटकरण से आप क्या समझते हैं?

Question No. 8 **(3 Marks)**

What is a "Leading Question"?

'सूचक प्रश्न' क्या हैं?

Question No.9 **(3 Marks)**

What are the "Public Documents" as defined under Indian Evidence Act, 1872?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में परिभाषित "लोकदस्तावेज" क्या हैं?

Question No. 10 **(3 Marks)**

When the opinion as to electronic signature is relevant?

'इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर" के बारे में राय कब सुसंगत है?

Question No. 11 **(6 Marks)**

What are the contents of charge? What particulars as to time, place and person should be given in the charge? Can the Court alter a charge once framed?

आरोप की अर्न्तवस्तु बताईये? समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में आरोप में कौनसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होनी चाहिए? क्या न्यायालय एक बार विरचित आरोप में परिवर्तन कर सकता है?

Question No. 12 **(6 Marks)**

What are special provisions in the Indian Evidence Act, 1872 regarding admissibility of electronic record? In what circumstances, information contained in electronic record can be accepted in evidence in the proceedings before a Court? Discuss with reference to relevant provisions.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में इलेक्ट्रोनिक अभिलेख की ग्राह्यता के बारे क्या विशेष प्रावधान किये गये है? किसी न्यायालय के सम्मुख कार्यवाही के दौरान किन परिस्थितियों में इलेक्ट्रोनिक अभिलेख में उपलब्ध सूचना साक्ष्य में स्वीकार की जा सकती है? सम्बधित प्रावधानों के संदर्भ में विवेचन करें।

Question No. 13 **(6 Marks)**

linkinglaws.com

What are the conditions enumerated in proviso to Exception-1 of Section 300 of the Indian Penal Code 1860, subject to which defence can be set up by accused that he lost power of self-control due to grave and sudden provocation given by victim?

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 300 के अन्तर्गत दिये गये अपवाद-1 के परन्तुको के अधीन दी गयी किन शर्तों के अनुसार अभियुक्त, पीडित द्वारा उसे गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिये जाने से आत्म संयम की शक्ति से वंचित होने की प्रतिरक्षा ले सकेगा?

Question No. 14 **(10Marks)**

Write a detailed note about the procedure given in the Code of Criminal Procedure, 1973 when investigation cannot be completed in 24 hours.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दी गई प्रक्रिया, जबकि चौबीस घण्टे में अन्वेषण पूरा ना किया जा सके, पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिये।

Question No. 15 **(12Marks)**

On Vijaypath, at about 09:30 AM of 15.09.2015, motorcycle of "R" had a collision with the car of "S". "S" gave a slap to "R" and also abused him. On being abused by "S", "R" under grave provocation picks up a sharp heavy iron blade lying on road and tries to cause head injury to "S", which could have caused death of "S". "S" any how escapes himself from the iron blade blow.

What offence "R" has committed? If "R" has committed any offence, frame a charge on basis of the given facts by treating yourself "P", Additional Sessions Judge, Pali.

15.09.2015 की सुबह 09.30 बजे विजयपथ पर 'आर' की मोटरसाईकिल 'एस' की कार से टकरा गई। एस ने "आर के थप्पड़ लगाई और उसे अपशब्द कहे। अपशब्द कहे जाने पर गम्भीर प्रकोपन के अधीन "आर" ने सड़क पर पड़ी लोहे की एक भारी धारदार पत्ती उठाई और "एस" के सिर पर चोट लगाने का प्रयत्न किया जिससे "एस" की मृत्यु हो सकती थी। "एस" ने किसी प्रकार स्वयं को लोहे की पत्ती के वार से बचाया।

"आर द्वारा क्या अपराध कारित किया गया है? यदि 'आर' ने कोई अपराध कारित किया है तो अपने आपको "पी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पाली समझते हुये दिये गये तथ्यो के आधार पर आरोप विरचित कीजिये।

linkinglaws.com

PART-B/भाग-ब

Marks/अंक-30

Attempt all the 6 questions. Each question carries 5 marks.

समस्त 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 5 अंक निर्धारित हैं।

Question No. 16 **(5 Marks)**

Discuss the provision relating to "bail of juvenile" under Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन "किशोर की जमानत" से सम्बधित प्रावधान की चर्चा कीजिए।

Question No. 17 **(5 Marks)**

Discuss the provisions of Negotiable Instruments Act, 1881 relating to presumption in favour of holder, defence which may not be allowed in any prosecution under Section 138 and the offences by companies.

परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 में धारक के पक्ष में उपधारणा, प्रतिरक्षा जो धारा 138 के अन्तर्गत किसी अभियोजन में अनुज्ञात नहीं की जा सकती और कम्पनियों द्वारा अपराध से सम्बधित प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

Question No. 18 **(5 Marks)**

Describe the powers and procedure given under The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 relating to removal of person likely to commit offence in any "Scheduled Area" or "Tribal Area".

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा किसी अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में अपराध किये जाने की सम्भावना हो, को हटाये जाने से सम्बधित शक्तियों और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

Question No. 19 **(5 Marks)**

Explain the provisions relating to following under General Rules (Criminal), 1980:-

(each carries 2.5 marks)

सामान्य नियम (दाण्डिक), 1980 के अधीन निम्नलिखित से सम्बंधित प्रावधानों को समझाईये:-

(प्रत्येक हेतु 2.5 अंक निर्धारित है)

(1) Process against Members of the Parliament and State Legislature.

संसद और राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के विरूद्ध प्रोसेस।

(2) Order-sheet.

आदेश-सूची।

Question No. 20 **(5 Marks)**

Who is a "child" in the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012? Discuss the provisions relating to aggravated sexual assault given in this Act.

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में "बालक" कौन है? इस अधिनियम में दिये गये गुरुतर लैंगिक हमले से सम्बन्धित प्रावधानों की चर्चा कीजिये ।

Question No. 21 **(5 Marks)**

With reference to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 write short note on following:-

(each carries 2.5 marks)

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के संदर्भ में निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिये:-

(प्रत्येक हेतु 2.5 अंक निर्धारित है)

(1) Illicit traffic.

अवैध व्यापार।

(2) Power of Court to release certain offenders on probation.

कतिपय अपराधियों को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करने की न्यायालय की शक्ति।

linkinglaws.com

ENGLISH

Note:- Attempt all the three questions. Question No.1 carries 20 marks and questions no.2 and 3 carry 15 marks each.

Question No. 1 (20 Marks)

Write an essay in English on any one of the topics given below in about 500 words-

(A) Public Interest Litigation - A blessing for the disadvantageous.

(B) The concept of Local Self Government in the Constitution of India.

Question No. 2 (15 Marks)

Write an essay in English on any one of the topics given below in about 400 words –

(A) India of my dreams.

(B) Rajasthan - As I know.

(C) Indira Gandhi Canal - A gift to Thaar Desert.

Question No. 3 (15 Marks)

Write an essay in English on any one of the topics given below in about 400 words –

(A) Our judicial system - Its strength and weaknesses.

(B) Necessity of judicial activism.

linkinglaws.com

HINDI

नोट :- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 हेतु 20 अंक एवं प्रश्न संख्या 2 और 3 प्रत्येक हेतु 15 अंक निर्धारित हैं।

प्रश्न संख्या 1 **(20 अंक)**

निम्नलिखित में किसी एक विषय पर हिन्दी में लगभग 600 शब्दों में एक सारगर्भित निबन्ध लिखिए-

(क) सामाजिक न्याय, प्रशासन और मानवाधिकार

(ख) आपराधिक न्याय प्रशासन में सुधार - एक सामयिक आवश्यकता

प्रश्न संख्या 2 **(15 अंक)**

निम्नलिखत में से किसी एक विषय पर हिन्दी में लगभग 400 शब्दों में निबन्ध लिखिए-

(क) पंथनिरपेक्षता – भारतीय राज्य का संवैधानिक दायित्व

(ख) न्याय – हमारे संविधन का मूलाधार

प्रश्न संख्या 3 **(15 अंक)**

निम्नलिखत में से किसी एक विषय पर हिन्दी में लगभग 400 शब्दों में निबन्ध लिखिए-

(क) राजपुताना से राजस्थान – एक संघर्षपूर्ण यात्रा

(ख) राजस्थान का खनन उद्योग और पर्यावरण सन्तुलन की समस्या

(ग) राजस्थान - वन सम्पदा और पर्यटन

linkinglaws.com